राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
ज्ञापन प्रारूप 25.04.2017

क्रमांकः

दिनांक 25 अप्रैल 2017

माननीय राज्यपाल महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

द्वारा : श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड.....जिला.....

विषय : पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने तथा राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षक आयोग के गठन के सम्बन्ध में ज्ञापन।

आदरणीय,

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ देश के 30 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शिक्षक संगठन है तथा संगठन से 25 राज्य सम्बद्ध है जो कि विश्व स्तर पर 171 देशों के 3.50 करोड़ शिक्षकों का नेतृत्व करने वाला संगठन 'एजूकेशन इन्टरनेशनल' से भी सम्बद्ध है। राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से सम्बद्ध संगठन है।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जहाँ एक ओर अपने अधिकारों एवम् शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत रहता है वहीं दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊचाँ उठाने एवम् सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने हेतु सत्त प्रयासरत है।

यह संगठन विगत् 2004 से नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। इस क्रम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री को माँग पत्रक देकर अनुरोध किया गया था कि पुरानी पेंशन योजना को ही लागू रहने दिया जाए। किन्तु ऐसा सम्भव नहीं हो सका। अतः परिस्थिति से बाध्य होकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ को संघर्ष का निर्णय लेना पड़ रहा है क्योंकि नई पेंशन योजना शिक्षकों एव कर्मचारियों के भविष्य के लिए अनिश्चित्ता
निर्माण करने वाली है। जिसके कारण शिक्षकों/कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वृद्धावस्था में जीवन–यापन हेतु पेंशन का महत्त्व वेतन से भी अधिक बढ़ जाता है।

हमारी प्रमुख मांगे निम्ननिखित हैं–

1. नई पेंशन योजना तत्काल बन्द कर पुरानी पेंशन योजना देश के सभी राज्यों में शिक्षकों एवम् कर्मचारियों हेतु लागू किया जाए।
2. छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा देश के सभी राज्यों के शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में (पैरा टीचर्स सहित) सभी वर्गों के अध्यापकों को 'समान काम के आधार पर समान वेतन' 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 01 जनवरी 2016 से ही लागू करना सुनिश्चित किया जाए।
3. शिक्षा एवम् शिक्षकों की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु 'राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा आयोग' का गठन किया जाए।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि यदि 31 मार्च 2017 तक उपरोक्त न्यायोचित मांगों की पूर्ति की दिशा में केन्द्र व राज्य सरकारों ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो विभिन्न तिथियों पर प्रखण्ड से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न चरणों में आक्रमक आंदोलन किया जाएगा अन्यथा उसकी समस्त जिम्मेदारी केन्द्र व राज्य सरकारों की होगी।

उक्त निर्णय के क्रम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से राजस्थान में सम्बद्ध संगठन राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के द्वारा आज दिनांक 25 अप्रैल 2017 को सम्पूर्ण राज्य के उपखण्डों में धरना देते हुए श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर निवेदन करते है कि संगठन की उपरोक्त न्यायोचित्त मांगों को स्वीकार करें।

सादर,

भवदीय

अध्यक्ष
उपशाखा.....जिला.....

मंत्री
उपशाखा.....जिला.....